INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP00794993106003M
Certificate Issued Date	:	22-Dec-2014 02:42 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ MATHURA/ UP-MTH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL0100956356510340M
Purchased by	:	S J P GLOBAL LTD
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	SATOHA ASGERPUR TEHSIL AND DISTT MATHURA
Consideration Price (Rs.)	:	48,00,000 (Forty Eight Lakh only)
First Party	:	SMT MEERA
Second Party	:	S J P GLOBAL LTD
Stamp Duty Paid By	:	S J P GLOBAL LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	3,06,000 (Three Lakh Six Thousand only)

Please write or type below this line

0001284319

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 905894

1. भूमि का प्रकार – कृषि भूमि
2. मौहल्ला/ग्राम.....मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा
3. मापन की इकाई (हैक्टेयर) रकबा 0.243 हैक्टेयर का हिस्सा 1/2 यानि रकबा 0.1215 हैक्टेयर
4. सम्पत्ति का प्रकार :– कृषि भूमि
5. पेड़ों का मूल्यांकन.नहीं
6. बोरिंग/कुआ/अन्य..नहीं
7. प्रतिफल की धनराशि.. 4800000/–.रुपये
8. स्टाम्प हेतु मालियत 4800000/–रुपये
9. स्टाम्प देय 336000/–रुपये जिसमें से 30000/–रुपये का स्टाम्प पेपर व 306000/–रुपये का ई–स्टाम्प सर्टिफिकेट नंबर–आई एन यू पी 00794993106003 एन दिनांक–22.12.2014 जो ई–स्टाम्प सार्टिफिकेट इस प्रलेख के साथ सलग्न किया जा रहा है।
10. सरकारी दर भूमि सड़क से दूर 12500000/–रुपये प्रति हैक्टेयर जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं0 46 क्रमांक 88 कोड नंबर–1019 पर दर्ज है। कार्यक्षेत्र उ0नि0 मथुरा –प्रथम/द्वितीय

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 905895

(2)

विक्रेता की संख्या (1)
विक्रेता का विवरण
श्रीमती मीरा पत्नी श्री पप्पू निवासी ग्राम सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा

क्रेता की संख्या (1)
क्रेता का विवरण

एस0जे0पी0 ग्लोबल लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111, श्रीजमुनाधाम कालौनी, गोवर्धन चौराहा, मथुरा

पेन नंबर–ए ए ओ सी एस 1715 एम

मैं कि श्रीमती मीरा पत्नी श्री पप्पू निवासी ग्राम सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा की हूं।

मीरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 905896

(3)

जो कि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी खाता नंबर—328 व खसरा नंबर–57 रकवा 2.424 हैक्टेयर लगानी रूबरू कागजात बाके मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा में मेरा हिस्सा आराजी रकवा 0.243 हैक्टेयर है जो मिल्कियत मेरी है जिसको मैंने बजरिये बैनामा दिनांक—12.2.2007 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर—1 जिल्द 4146 के सफा 207 / 236 नंबर–1899 पर हुआ, मनोहर से अन्य जमीन सहित खरीदी और सरकारी कागजात माल में मेरा नाम बहैसियत मालिक दर्ज है। जिस पर मेरा कब्जा है और जिसके विषय में मुझको हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जों आदि से पाक साफ है जिसमें सिवाय मेरे अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो मेरे इस बैनामा करने में कोई रूकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी वार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी एक मात्र पाक साफ मिल्कियत मेरी ही है कृषि से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में मेरा सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रुपये को कहीं भी लगा देने से मुझको एक अच्छी व निश्चित आय हो जावेगी अतः अपनी आराजी रकवा 0.243 हैक्टेयर का हिस्सा 1/2 यानि रकवा 0.1215 हैक्टेयर आराजी को समस्त अधिकारों सहित जो मुझको प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों बएवज 4800000/—अड़तालीस

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 905715

(4)

लाख रुपये जिसके आधे 2400000/–चौबीस लाख रुपया होते हैं। बदस्त एस0जे0पी0 ग्लोबल लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111, श्रीजमुनाधाम कालौनी, गोवर्धन चौराहा, मथुरा के हक में बै कतई कर दिया और बेच दिया और कीमत का रुपया खरीदार से 1500000/–रुपये चैक नंबर–327387 ओ0बी0सी0 बैंक बाकलपुर मथुरा शाखा दिनांक–20.8.2015 व 1500000/–रुपये चैक नंबर- 327388 ओ0बी0सी0 बैंक बाकलपुर मथुरा शाखा दिनांक–20. 9.2015 व 1500000/–रुपये चैक नंबर–327389 ओ0बी0सी0 बैंक बाकलपुर मथुरा शाखा दिनांक–20.10.2015 व 300000/–रुपये चैक नंबर–327390 ओ0बी0सी0 बैंक बाकलपुर मथुरा शाखा द्वारा पाकर बेची गई उक्त आराजी पर खरीदार का वाकई कब्जा व कब्जा मालिकाना करा दिया। खरीदार बेची गई आराजी रकवा 0.243 हैक्टेयर का हिस्सा 1/2 यानि रकबा 0.1215 हैक्टेयर का सम्पूर्ण स्वामी हुआ। खरीदार समस्त अधिकार मालिकाना प्रयोग में लावें और स्वयं जो चाहे सो करें अब मुझको व मेरे वारिसानों को बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा। यदि बेची गई उक्त आराजी के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त आराजी का थोड़ा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जावे या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जबाबदेही व खर्चा अदालत मै अदा करुंगा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 905716

(5)

रुपया मय जर समन व जर लागत व सूद व हर्जा खरीदार सब मेरे जिम्मे है और खरीदार वह सब मुझसे व मेरे वारिसानों व मेरी चल अचल सम्पत्ति से हस्ब जाब्ता मय खर्चे के वसूल करलें । आराजी एक फसला है विक्रित कृषि भूमि पर कृषि अनवरत रूप से चल रहा है वर्तमान में भी खेती हो रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खड़ी है न ही आराजी में कोई पेड़ आदि है । बेचे जाने वाली आराजी को संलग्न नक्शे में स्पष्ट रूप से रंग लाल से दर्शायी गयी है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। विक्रेता अपनी उक्त आराजी के बेचने का सौदा अन्य किसी भी व्यक्ति से तय नहीं किया है। उक्त आराजी के 200 मीटर (सराउन्डिंग) में कृषि कार्य हो रहा है उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है।

तसदीकी मुख्तारनामा आम दि0–2.8.2006 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार मथुरा में बही नंबर–6 खण्ड 123 के सफा 105 / 108 पर नंबर–441 पर दिनांक--2.8.2006 हुई है रासबिहारी पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी पाठक गली, राजाधिराज बाजार, मथुरा को उक्त राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी गली ठठेरान शहर मथुरा की ओर से उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रलेख प्रस्तुत करने व निबंधन कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 905717

(6)

लिहाजा यह बैनामा बखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें।

दिनांक–22.12.2014
कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण झारिया मथुरा
ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट,मथुरा

गवाह

32 दि० 22-12-2014

32 दि०

कृष्ण गोपाल चतुर्वेदी

स्टाम्प विक्रेता लाइ० नं० 7 सन 198[illegible]

आज दिनांक 24/12/2014 को

बही सं 1 जिल्द सं 11227

पृष्ठ सं 371 से 386 पर क्रमांक 21753

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी-के-यादव

उप-निबन्धक

मथुरा-प्रथम

24/12/2014

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

000

SAND RUPEES

UTTAR PRADESH

A 064833

FEB 2007

॥ जय श्री कृष्ण ॥

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1. [illegible] भूमि का प्रकार- कृषि भूमि

2. मोहल्ला ग्राम मौजा सतोहा असगरपुर

3. मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्गमीटर) हैक्टेयर

4. सम्पत्ति का क्षेत्रफल-2.424 हैक्टेयर सम्पूर्ण अंश में से विक्रय रकबा 0.60 एकड़ जानिब दक्षिण दगरे के सहारे

5. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) - मुख्य एवं लिंक मार्ग से दूर

6. पेड़ों का मूल्यांकन - नहीं

7. बोरिंग/कुआं/अन्य - नहीं

8. प्रतिफल की धनराशि 2,00,000/- रूपये, मालियत 4,80,000/ रूपये, सरकारी रेट 8,00,000/-रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो पेज नम्बर 52 क्रमांक 29 पर दर्ज है, महिला खरीदार होने पर दो प्रतिशत की छूट काटकर देय स्टाम्प 38,400/ रूपये, विकास शुल्क सीमा के अन्दर, क्षेत्र उपनिबन्धक प्रथम मथुरा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH

{2}

विक्रेता प्रथमपक्ष का विवरण (दो)

1- मनोहर पुत्र श्री मुकन्दा निवासी- असगरपुर, तहसील व जिला मथुरा।
व्यवसाय- कृषि

क्रेता द्वितीयपक्ष का विवरण (एक)

1 श्रीमती मीरा पत्नी श्री पप्पू निवासी- असगरपुर, तहसील व जिला मथुरा।
व्यवसाय- कृषि

....

हमकि मनोहर पुत्र श्री मुकन्दा निवासी- असगरपुर, तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष एवं श्रीमती मीरा पत्नी श्री पप्पू निवासी- असगरपुर, तहसील व जिला मथुरा क्रेता द्वितीयपक्ष पक्षकारगण इस लेखपत्र के हैं। विदित हो

मनोहर मीरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH

{3}

आराजी भूमिधरी नकल खतौनी फसली सन् 1412 से 1417 के अनुसार खाता संख्या 321 खसरा नम्बर 57 रकबा 2.424 हैक्टेयर लगानी 39.02 रूपये सालाना वाके मौजा सतोहा असगरपुर, तहसील व जिला मथुरा। सम्पूर्ण अंश आराजी मिलकीयत व खाता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH

कागजातमाल प्रथमपक्ष है। जिसका प्रथमपक्ष विक्रेता मालिक व भूमिधर है। जिस पर प्रथमपक्ष का कब्जा है। सिवाय प्रथमपक्ष विक्रेता के उक्त आराजी का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं है। और न किसी भी जगह रहन व गिरवी आदि है । और न किसी भी सरकारी, अर्द्ध सरकारी, वित्तीय संस्था व बैंक आदि में बन्धक है और न ही किसी भी न्यायालय में जमानत में अटैच व कुर्क है। यानि उपरोक्त आराजी हर

मनोहर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH

A 061862

FEB 2007

{5}

प्रकार के झगड़े झंझट व कर्जे आदि से पाक साफ मिलकीयत प्रथमपक्ष है तथा प्रथमपक्ष विक्रेता का ही नाम दर्ज कागजात सरकारी है। यानि कि मालिक काबिज व दखील प्रथमपक्ष हैं। न प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त आराजी के बेचने का इकरारनामा किसी के साथ तय कर रखा है। उक्त आराजी से विक्रेता प्रथमपक्ष को कोई खास लाभ नहीं है। प्रथमपक्ष को अपनी व अपने परिवार की जरूरतों हेतु रूपयों की

मनोहर

मिश्र

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पांच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

UTTAR PRADESH

A 061861

18 200

Mathura

{6}

आवश्यकता है। इसलिये प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त सम्पूर्ण अंश आराजी में से रकबा 0.60 एकड़ आराजी को बेच देना उचित समझा है। कीमत अच्छी मिल रही है। बेच देने में विक्रेता प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है। चुनांचि अपनी उक्त सम्पूर्ण अंश आराजी में से रकबा 0.60 एकड़ आराजी जानिब उत्तर चकरोड के सहारे को समस्त अधिकारों सहित जो प्रथमपक्ष विक्रेता को प्राप्त हैं, अथवा भविष्य में प्राप्त होते हों,

मनोहर

किशन मीरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पांच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

A 061860

UTTAR PRADESH

{7}

यानि कुल को बिला छोड़ आराजी के स्वामित्व अधिकार हित सम्भावित व निहित
को बिलएवज मुवलिग 2,00,000/- दो लाख रूपये जिनके आधे 1,00,000/- एक
लाख रूपये होते हैं **बदस्त श्रीमती मीरा पत्नी श्री पप्पू निवासी- असगरपुर,**
तहसील व जिला मथुरा क्रेता द्वितीयपक्ष को पूर्ण रूपेण विक्रय कर दिया और
क्रेता द्वितीयपक्ष को मालिक काबिज व दखील बना दिया, और कीमत के कुल
2,00,000/- रूपये प्रथमपक्ष ने खरीदार से नकद वक्त रजिस्ट्री बैनामा पाकर कब्जा व

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

B 669597

UTTAR PRADESH

{8}

दखल बेची गयी उक्त 0.60 एकड़ खाली आराजी जानिब दक्षिण दगरे के सहारे पर खरीदार का बाकई अपने समान पूरा मालिकाना करा दिया आज की तारीख से खरीदार उक्त आराजी की पूरा मालिक हो गयी। अब वह समस्त अधिकार मालिकाना, हस्तान्तरण आदि प्रयोग में लावे और खुद जो चाहे सो करे, अब विक्रेता

मनोहर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

क हज़ार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

B 669596

UTTAR PRADESH

{9}

प्रथमपक्ष व उसके वारिसों का उक्त बेची गई आराजी भूमिधरी में कुछ भी हक व हिस्सा व संबंध किसी भी प्रकार का शेष नही रहा और न आयन्दा होगा। अगर कभी कोई व्यक्ति उक्त बेची गई आराजी भूमिधरी के संबंध में दावा या झगड़ा उत्पन्न करे और जुज या कुल कब्जा आराजी भूमिधरी खरीदार से निकल जावे या किसी प्रकार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

B 669597

UTTAR PRADESH

का ऋण, लोन, बैंक में बंधक आदि निकले या न्यायालय में जमानत में पाई जावे या अटैच या कुर्क आदि निकलें तो विक्रेता प्रथमपक्ष की हर प्रकार की पूरी जिम्मेदारी होगी। खरीदार अपनी कीमत का दिया गया रूपया मय हर्जा खर्चा व लागत व अदा व खर्च किये गये रूपयों को मय सूद ब्याज के विक्रेता प्रथमपक्ष व उसकी हर प्रकार की चल अचल सम्पत्ति से बाजाब्ता बजरिये अदालत वसूल कर ले। इसमें प्रथमपक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

D 737815

{11}

को व वारिसान प्रथमपक्ष को कुछ भी उज्र न होगा। तथा मुख्य एवं लिंक मार्ग से दूर स्थित है। उक्त आराजी भूमिधरी विकास शुल्क के <u>अन्दर</u> है उक्त विक्रीत आराजी भूमिधरी का बाजारी मूल्य 2,00,000/- रूपये है। और सरकारी रेट 8,00,000/- रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से विक्रय 0.60 एकड़ आराजी भूमिधरी की मालियत 4,80,000/-रू. होती है। जिस पर महिला खरीदार होने पर दो प्रतिशत की छूट

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

D 737814

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

{12}

काटकर 38,400/-रूपये का स्टाम्प अदा किया है। आराजी दो फसली है। उक्त बेची गई आराजी सिंचित है। आस-पास कृषि कार्य हो रहा है। खरीदार अपने नाम का दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करालें प्रथमपक्ष विक्रेता रजामन्दी

मनोहर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

सत्यमेव जयते

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

D 737813

{13}

देता हैं, प्रथमपक्ष व वारिसान प्रथमपक्ष कोई एतराज नहीं करेंगे। बेची गयी आराजी का संलग्न नक्शें में रंग लाल दिखाया गया है। उक्त आराजी में कोई पेड़, बोरिंग, कुँआ आदि नहीं है। क्रेता विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं। अतः यह बैनामा अपनी राजी खुशी से दोनों पक्षों ने सोच समझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे। उक्त बैनामा दोनों पक्षों के निर्देशानुसार गवाहों के समक्ष पढ़कर व

क सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

0 737812

सुनाकर टाईप व ड्राफ्ट किया गया हैं। तथा गवाहान व खरीदार की शिनाख्त के आध

ार पर फोटो प्रमाणित किये गये हैं।

दिनांक- 12.02.2007ई0

टाइप किया- दीपक, नीलम फोटोस्टेट, मथुरा।

ड्राफ्ट किया- गोबिन्द प्रसाद शर्मा एडवोकेट, मथुरा।

साक्षी

साक्षी

तिवारी

विक्रेता

आज दिनांक **12/02/2007** को

बही सं **1** जिल्द सं **4146**

पृष्ठ सं. **207** से **236** पर क्रमांक **1899**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

मुकेश श्रीवास्तव
उप निबन्धक
मथुरा
12/2/2007

[illegible] 57 [illegible]

[illegible] 2.424 हे० [illegible] 0.240 हे० [illegible]

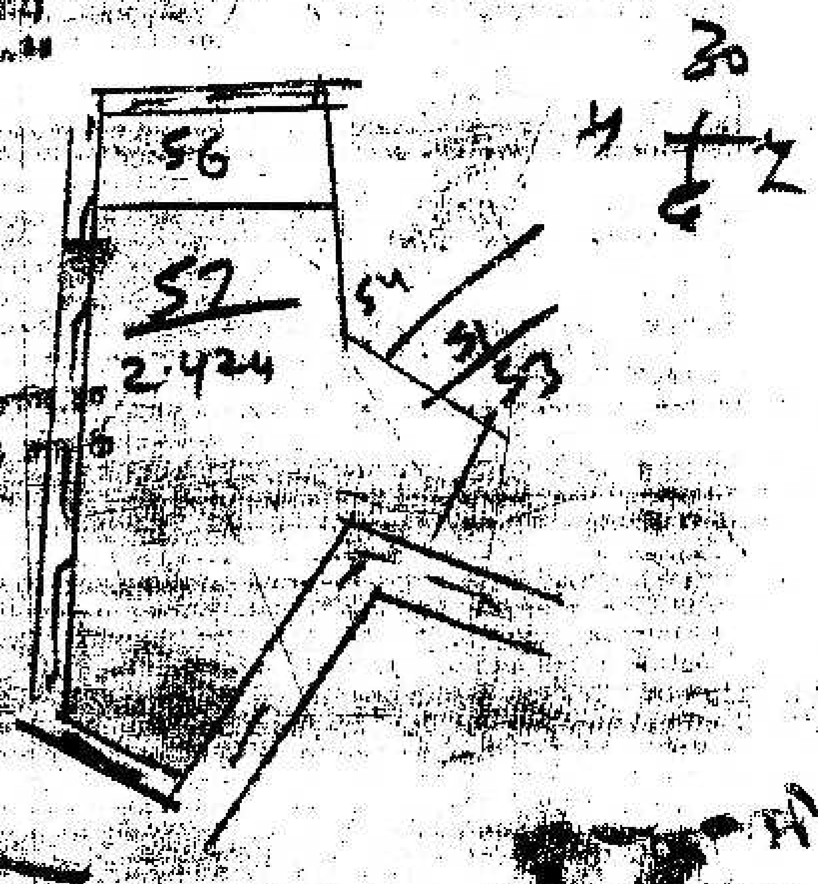

[illegible] की धारा 18 [illegible] 1490/07

[illegible] किया गया

[illegible]

BHULEKH भूलेख

खाता विवरण

गाँव का नाम : रालोहा अराजर पुर परगना : मथुरा तहसील : सदर खाता संख्या : 00328

जनपद : Mathura फसली वर्ष : 1418-1423 भाग : 1

खातेदार का नाम	संरक्षक का नाम	निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल(हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी :						
मनोहर श्रीमती मीरा ✓	मुकन्दा परपू	नि. ग्राम नि. ग्राम	57	2.4240	ओ बी सी कैपिटलडेन्टल मथुरा मैं मनोहरलाल ने अपनीआराजी मु0 4,50,000में दिनांक 10/07/08को बन्धककर दी 1419फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय मथुरा के वाद सं0 1205 TM ता फै 16.07.12 के अनुसार खाता सं0 321 के खसरा सं0 57 रकबा 2.424है0 लगान (अंश मे से रकबा 0.506है0 से विक्रेता मनोहर पुत्र मुकन्दा नि0 ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता एस0जे0पी0 ग्लोबल लि0 द्वारा डायरेक्टर राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल नि0 111, श्री जमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा मथुरा तह व जिला मथुरा का नाम बजरिये बैनामा दि0 13.06.12 के आधार पर बतौर स0भू0 दर्ज हो ह0 र0 का 16.07.12 1420फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय मथुरा के वाद सं0 1299 TM ता फै 07.08.12 के अनुसार खाता सं0 321 के खसरा सं0 57 रकबा 2.424है0 लगान (अंश मे से रकबा 0.506है0 से विक्रेता मनोहर पुत्र मुकन्दा नि0 ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता एस0जे0पी0 ग्लोबल लि0 द्वारा डायरेक्टर राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल नि0 111 श्री जमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा मथुरा का नाम बजरिये बैनामा दि0 06.07.12 के आधार पर बतौर स0भू0 दर्ज हो ह र का 07.08.12 1420फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय मथुरा के वाद सं0 1307 TM ता फै 13.08.12 के अनुसार खाता सं0 328 के खसरा सं0 57 रकबा 2.424है0 लगान (अंश मे से रकबा 0.506है0 से विक्रेता मनोहर पुत्र मुकन्दा नि0 ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता एस0जे0पी0 ग्लोबल लि0 द्वारा डायरेक्टर राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल नि0 111 श्री जमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा मथुरा का नाम बजरिये बैनामा दि0 09.07.12 के आधार पर बतौर स0भू0 दर्ज हो ह र का 13.08.12 1420फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय मथुरा के वाद सं0 1369 TM ता फै 25.08.12 के अनुसार खाता सं0 328 के खसरा सं0 57 रकबा 2.424है0 मे	

शे रकबा 0.484हे0 व खसरा सं0 77अमि रकबा
0.143हे0 व खसरा सं0 813मि रकबा 0.030 व
खसरा सं0 147मि रकबा
0.006 कुल 4 किता रकबा 0.663हे0 लगान 60रु0
से विक्रेता मनोहर पुत्र मुकन्दा नि0 ग्राम का नाम
खारिज करके क्रेता एस0जे0पी0 ग्लोबल लि0 द्वारा
डायरेक्टर राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल नि0
115 श्री जमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा मथुरा
का नाम बजरिये बैनामा दि0
23.07.12 के आधार पर बतौर स0भू0 दर्ज
हो ह र का 25.08.12

Disclaimer : उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Data Updated on : [illegible]

Site Best Viewed in IE 8.0 and Google Chrome

BHULEKH भूलेख NIC

खाता विवरण

<< पीछे

ग्राम का नाम :	सतोहा असगर पुर	परगना :	मथुरा	तहसील :	सदर	खाता संख्या :	00328
जनपद :	Mathura	फसली वर्ष :	1418-1423	भाग :	1		

खातेदार का नाम	संरक्षक का नाम	निवास स्थान	खसरा सँख्या	क्षेत्रफल(हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : भूमि जो हस्तांतरणीय अधिकार वाले भूमिधरों के अधिकार में है						
मनोहर	मुकन्दा	नि. ग्राम	57	2.4240	ओ बी सी के0डी0डेन्टल मथुरा में मनोहरलाल ने अपनीआराजी मु0 4,50,000/में दिनांक 16.07.08को बन्धककर दी 1419फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय मथुरा के वाद सं0 1205 TM ता फै 16.07.12 के अनुसार खाता सं0 321 के खसरा सं0 57 रकबा 2.424हे0 लगान 60ख मे से रकबा 0.506हे0 से विक्रेता मनोहर पुत्र मुकन्दा नि0 ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता एस0जे0पी0 ग्लोबल लि0 द्वारा डायरेक्टर राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल नि0 111, श्री जमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा मथुरा तह व जिला मथुरा का नाम बजरिये बैनामा दि0 13.06.12 के आधार पर बतौर स0भू0 दर्ज हो ह र का 1[illegible].07.12	
श्रीमती मीरा	पप्पू	नि. ग्राम				

1420फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय मथुरा के वाद सं0 1299 TM ता फै 07.08.12 के अनुसार खाता सं0 321 के खसरा सं0 57 रकबा 2.424हे0 लगान 60ख मे से रकबा 0.506हे0 से विक्रेता मनोहर पुत्र मुकन्दा नि0 ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता एस0जे0पी0 ग्लोबल लि0 द्वारा डायरेक्टर राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल नि0 111 श्री जमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा मथुरा का नाम बजरिये बैनामा दि0 06.07.12 के आधार पर बतौर स0भू0 दर्ज हो ह र का 07.08.12

1420फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय मथुरा के वाद सं0 1307 TM ता फै 13.08.12 के अनुसार खाता सं0 328 के खसरा सं0 57 रकबा 2.424हे0 लगान 60ख मे से रकबा 0.506हे0 से विक्रेता मनोहर पुत्र मुकन्दा नि0 ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता एस0जे0पी0 ग्लोबल लि0 द्वारा डायरेक्टर राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल नि0 111 श्री जमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा मथुरा का नाम बजरिये बैनामा दि0 09.07.12 के आधार पर बतौर स0भू0 दर्ज हो ह र का 13.08.12

1420फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय मथुरा के वाद सं0 1369 TM ता फै 25.08.12 के अनुसार

खाता सं0 328 के खसरा सं0 57 रकबा 2.424हे0 मे
से रकबा 0.484हे0 व खसरा सं0 773मि रकबा
0.143हे0 व खसरा सं0 813मि रकबा 0.030 व
खसरा सं0 147नि रकबा
0.006 कुल 4 किता रकबा 0.663हे0 लगान 60ख
से विक्रेता मनोहर पुत्र मुकन्दा नि0 ग्राम का नाम
खारिज करके क्रेता एस0जे0पी0 ग्लोबल लि0 द्वारा
डायरेक्टर राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल नि0
111 श्री जमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा मथुरा
का नाम बजरिये बैनामा दि0
23.07.12 के आधार पर बतौर स0भू0 दर्ज
हो ह र का 25.08.12

Disclaimer : उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।
Data Updated as on : 03/08/2014
Site Best Viewed in IE 8.0 and Google Chrome